म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

100 दिवसीय कार्ययोजना

जनसंकल्प का बिन्दु क्रमांक-1.24

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्यूटर साक्षरता

- मध्यप्रदेश के जिलों में वर्तमान में 368 तहसीलदार, 399 नायब तहसीलदार, 69 अधीक्षक, भू-अभिलेख तथा 237 सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख कार्यरत हैं। जिन्हें एनआईसी के माध्यम से जिलों में कम्प्यूटर चलाने, एम.एस. आफिस, ई-मेल भेजने एवं खसरा नक्शा की नकल निकालने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जनसंकल्प का बिन्दु क्रमांक-2.14

लम्बी अवधि से अतिक्रमित शासकीय भूमियों का बंटन

- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में दिनांक 16/09/2013 को संशोधन किया जाकर एक नई धारा 162 जोडी गई है, जिसका उद्येश्य अनाधिकृत कब्जे में कतिपय भूमियों का व्ययन किया जाना है ।
- इस संशोधन के द्वारा ऐसी भूमियां जो बडे चक में हैं और लम्बे समय से अनाधिकृत कब्जे में हैं, वह अतिक्रामकों के नाम सरकारी पट्टे पर दी जाएंगी।
- ऐसे पट्टे केवल आवासीय प्रयोजन एवं कृषि प्रयोजन के लिए दिए जा सकेंगे।
- इस नई धारा 162 के प्रावधान लागू करने के लिए, 100 दिवस में नियम बनाये जायेंगे।

जनसंकल्प का बिन्दु क्रमांक-13.5

खसरा/बी-1 का नया प्रारूप (ए4 साईज में)

- **PPP BOOT Model** पर तैयार कराए जा रहे **Web Based GIS Application** के अन्तर्गत एक समेकित खसरा डाटाबेस (कृषि, नजूल एवं व्यपवर्तित भूमि) तैयार किया गया है। इस प्रारूप को 100 दिवस के अन्दर अन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी ।

जनसंकल्प का बिन्दु क्रमांक-13.7

सभी कलेक्टर कार्यालयों, तहसील कार्यालयों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोडा जाएगा

- **PPP BOOT Model** पर **Web Based GIS Application** तैयार करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इस **Application** के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अभिलेख ऑनलाईन किए जा रहे हैं। आगामी 100 दिवस में प्रदेश के 4 जिलों (भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर एवं इन्दौर) में इस Application को लागू कर भू-अभिलेखों के मॉडिफिकेशन/अपडेशन कर किसानों को भू-अभिलेखों (खसरा/बी-1 एवं नक्शा) की प्रतिलिपि उपलब्ध कराए जावेंगे।

विशेष बिन्दु

रिकार्ड रूम का आधुनिकीकरण

- जिला भोपाल, होशंगाबाद, सिवनी, जबलपुर, एवं सिहोर के रिकार्ड रूम का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण कर उपयोग प्रारंभ किया जाएगा।

विशेष बिन्दु

कम्प्यूटराईज्ड खसरे से नक्शों को लिंक करना

- कम्प्यूटराईज्ड खसरा से नक्शों को लिंक करने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा और इसे ऑनलाइन प्रदाय करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा ।

विशेष बिन्दु

मानसून 2013 की अतिवर्षा एवं बाढ से हुई क्षति फसल हानि के मामलों में राहत राशि का वितरण

- अतिवर्षा एवं बाढ से हुई क्षति के मामलों में जन हानि पशु हानि एवं मकान हानि की राहत राशि का वितरण किया जा चुका है । प्रदेश के 28 जिलों में हुई फसल हानि के लिए रूपये 582 करोड की राहत राशि का वितरण किया जाएगा ।